न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 2988 /विधि सहरसा, दिनांक 29-9-2022

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित तथा उनके पत्रांक 3544/जि0प्रो0, दिनांक 08.10.2022 से प्राप्त आयुक्त न्यायालय आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद सं0-02/2022 से संबंधित निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी वाद सं0-17/2021 (कुल-259 पन्ना) तथा 23/2021 (कुल-168 पन्ना) यथावत मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पिंकी कुमारी, पति-अमित कुमार पासवान / पुष्पा कुमारी, पति-विजय पासवान / प्रीति कुमारी, पति-राधेश्याम पासवान, सभी सा0-दुधा केवट्ना, ग्राम पंचायत-बलहा, वार्ड नं0-13, थाना वो जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

कुमारी तथा वाद सं0-23/2021 प्रीति कुमारी बनाम पुष्पा कुमारी एवं अन्य में दिनांक 30.10.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

संदर्भित मामला संक्षेप निम्न प्रकार है :-

जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेशानुसार, सुपौल प्रखंड के ग्राम पंचायत-बलहा, वार्ड नं0-13, अवस्थित अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-330 के सेविका चयन हेतु वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 12.06.2020 को महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा आमसभा की गई, जिसमें पुष्पा कुमारी, पति-विजय पासवान का चयन किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध प्रीति कुमारी, पति-राधेश्याम पासवान के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल सदर के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-08/2021 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 17.02.2021 को आदेश पारित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल सदर के द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी, पति-विजय पासवान का चयन रद्द कर दिया गया तथा श्रीमती पिंकी

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
27/09/2023	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-02/2022** **पिंकी कुमारी.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षणवाद पिंकी कुमारी, पति-अमित कुमार पासवान, सा0-दुधा केवटना, ग्राम-बलहा, वार्ड नं0-13, थाना वो जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-17/2021, पुष्पा कुमारी बनाम पिंकी कुमारी तथा वाद सं0-23/2021 प्रीति कुमारी बनाम पुष्पा कुमारी एवं अन्य में दिनांक 30.10.2021 को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है। संदर्भित मामला संक्षेप निम्न प्रकार है :- जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेशानुसार, सुपौल प्रखंड के ग्राम पंचायत-बलहा, वार्ड नं0-13, अवस्थित अनुसूचित जाति वर्ग बाहुल्य आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-330 के सेविका चयन हेतु वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 12.06.2020 को महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा आमसभा की गई, जिसमें पुष्पा कुमारी, पति-विजय पासवान का चयन किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध प्रीति कुमारी, पति-राधेश्याम पासवान के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल सदर के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-08/2021 दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक 17.02.2021 को आदेश पारित करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल सदर के द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी, पति-विजय पासवान का चयन रद्द कर दिया गया तथा श्रीमती पिंकी	

कुमारी, पति–अमित कुमार पासवान को चयन–पत्र निर्गत करने का आदेश संबंधित महिला पर्यवेक्षिका को दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष पुष्पा कुमारी द्वारा अपीलवाद सं0–17/2021 तथा प्रीति कुमारी द्वारा अपीलवाद सं0–23/2021 दायर किया गया। उक्त दोनों वादों में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा दिनांक 30.10.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल सदर के आदेश को खारिज करते हुए पुष्पा कुमारी के चयन को बरकरार रखा गया तथा पिंकी कुमारी के चयन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल को दिया गया। उक्त के आदेश के पुनरीक्षण हेतु यह वाद लाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि विपक्षी सं0–01 पुष्पा कुमारी की शादी ग्राम करिहो में विजय पासवान के साथ हुई है। ग्राम पंचायत करिहो, वार्ड नं0–06 के पंचायत मतदाता सूची के क्रमांक–248 पर विपक्षी के पति विजय पासवान का तथा क्रमांक–249 पर पुष्पा कुमारी का नाम दर्ज है। पुष्पा कुमारी के नाम से राशन कार्ड सं0–100600900730483000 67 निर्गत है। विपक्षी पुष्पा कुमारी के द्वारा सभी प्रकार का सरकारी लाभ अपने ससुराल करिहो से लिया जाता है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका चयन हेतु वर्ष 2018 में प्रकाशित विज्ञापन में पुष्पा कुमारी को 60.57% अंक अंकित था, किन्तु वर्तमान चयन में मेधासूची में उनका प्रतिशत 62.86% अंकित है। उनके अनुसार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पुष्पा कुमारी का शैक्षणिक प्रमाण–पत्र फर्जी है। उनका कहना है कि पुष्पा कुमारी, पिता–रामपदारथ पासवान की जन्मतिथि 10.10.1991 अंकित है तथा सरस्वती कुमारी, पिता–रामपदारथ पासवान के नाम से उनके पास दूसरा प्रमाण–पत्र है, जिसमें उनकी जन्मतिथि 10.01.1994 है। वंशवृक्ष के अनुसार रामपदारथ पासवान को मात्र एक ही संतान है। पुनः पुष्पा कुमारी, पिता–रामपदारथ पासवान की जन्मतिथि 06.05.1992 भी कई स्थानों पर अंकित की गई है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि विपक्षी का दो नाम तथा 3 जन्म तिथि है। उनके भैंसूर किसान सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं। उनका कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सुपौल सदर के द्वारा उनके समक्ष दायर वाद सं0–08/2021 के आलोक में महिला पर्यवेक्षिका पुष्पा कुमारी के

पोषक क्षेत्र की निवासी होने के संबंध में जाँच किये जाने पर प्रतिवेदित किया गया कि पुष्पा कुमारी ग्राम-बलहा, वार्ड नं0-13 की बेटी है तथा उनका नाम प्रखंड सुपौल के दो पंचायत करिहो तथा बलहा में वर्ष 2016 के मतदाता सूची में दर्ज है। वादी का कहना है कि स्पष्टतः पुष्पा कुमारी प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र की नहीं है। प्रीति कुमारी, पति-रोधश्याम पासवान के संबंध में वादी के द्वारा बताया गया कि प्रीति कुमारी के द्वारा पूर्व में पूनम कुमारी, पति-राधेश्याम पासवान के नाम से आवेदन, किया गया था। पूनम तथा प्रीति एक ही महिला है तथा दोनों के पति राधेश्याम पासवान ही है। इस कारण इनका प्रमाण-पत्र फर्जी है। इस कारण प्रीति कुमारी का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जा सकता है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-01 पुष्पा कुमारी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए बताया गया कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका चयन हेतु मेधा सूची के क्रमांक-01 पर रहने के कारण ही उनका चयन किया गया। उनका कहना है कि मेरी शादी ग्राम करिहो के विजय पासवान से हुई किन्तु अपने माता-पिता की ईकलौती संतान होने के कारण मैं उनके पास बलहा में ही रहती हूँ। मेरा राशन कार्ड सं0-100600900520281099999 ग्राम पंचायत बलहा का है। वर्ष 2013-14 में ग्राम-केवटना, वार्ड नं0-13, पंचायत-बलहा के पता पर उन्हें इन्दिरा आवास की राशि आवंटित की गई है। शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के संबंध में उनका कहना है कि उनके द्वारा आवेदन के साथ वर्ष 2018 तथा 2020 में एक ही शैक्षणिक प्रमाण दाखिल किया गया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 06.05.1992 है। उनका कहना है कि विभागीय मार्गदर्शिका, 2019 में पोषक क्षेत्र की बेटी को कहीं भी सेविका चयन हेतु अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उनके पास संबंधित पोषक क्षेत्र का निवासी होने के साक्ष्य के रूप में मतदाता सूची में नाम, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि अन्य कागजात हैं। विपक्षी सं0-01 पुष्पा कुमारी का कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा विस्तृत विवेचना के उपरान्त पारित आदेश सही तथा नियमानुकूल है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं

अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या-01 पुष्पा कुमारी बलहा पंचायत की बेटी है, किन्तु वह रिक्ति वाले वार्ड में रह रही है। पुष्पा कुमारी तथा उनके पति का नाम पंचायत चुनाव 2016 के मतदाता सूची में बलहा पंचायत में दर्ज है। स्पष्टतः आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2019 की कंडिका 5 में वर्णित मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता तथा सर्वोच्च मेधा अंक के आधार पर पुष्पा कुमारी प्रश्नगत् आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका हेतु सभी अर्हता पूर्ण करती है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

27/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

27/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।